राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(2)न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 16 MAY 2016

:: अधिसूचना ::

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 388 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से अपर जिला न्यायाधीश, अनुपगढ को उक्त अधिनियन के अन्तर्गत उत्पन्न विवादों/प्रकरणों के बारे में क्षैत्रीय सीमा मे अधिकारिता वाला न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/जिला एवं सैशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर।
8. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखक सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

16.05.16

(डॉ0 कैलाश चन्द्र अटवसिया)
संयुक्त शासन सचिव